अतिआवश्यक
द्वारा : स्पीडपोस्ट/हाथों–हाथ

भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
प्रादेशिक अनुसंधान स्थात्र, बीकानेर 334004
Regional Research Station, P.O. Bangla Nagar, Bikaner-334004
Website: www.cazri.res.in Phone& Fax: 0151-2251707

F.NO. RRS/BKN/Tractor Condemnation/2022-2023 Dated: 21.10.2022

भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), प्रादेशिक अनुसंधान स्थात्र, बीकानेर में TRACTOR TAFE (1 No.) Regn. No. RJ-19 R 9753 (Model 1994 तथा TRACTOR ESCORT (1 No.) Regn. No. RJ-19 2R 2428 (Model 2000) "जैसा है जहां है के आधार पर" खुली बोली द्वारा नीलामी दिनांक 04.11.2022 समय दोपहर 2.30 बजे रखी गयी है ।

खुली बोली लगाने की तिथि एवं समय	:	**दिनांक 04-11-2022 समय दोपहर 02.30 बजे**

पुराने/अनुपयोगी वाहन नीलामी के नियम व शर्तें –

1. धरोहर राशि **:** धरोहर राशि रूपये **5,000.00 (** अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र **)** जो कि इलेक्टोनिक्स मीडिया स्थानान्रण **(NEFT/RTGS)** या **"ICAR Unit- CAZRI Jodhpur"** के नाम का राष्ट्रीय अधिकृत बेंकै द्वारा जारी ड्राफ्ट **(Demand Draft)** जमा करानी होगी अन्यथा आपकी निविदा मान्य नहीं होगी ।

   बैक खाते का विवरण निम्न प्रकार से है :–

S.No.	Name of Account	Account Number	Branch Name & IFSC Code No.
1.	CAZRI R R S BIKANER	**SB 35349724166** **IFSC CODE SBIN0003401**	State Bank of India, Gangashahar Road, Bikaner

2. पुराने/अनुपयोगी वाहन के प्रकार के अनुसार उस पर लगने वाला सरकारी नियमानुसार बिक्री कर खरीददार को अलग से बिक्रीकर विभाग में जमा करानी होगी ।
3. नीलाम किये जाने वाले वाहनो **"जैसा है जहाँ है आधार पर"** वर्णित स्थल से नीलाम किया जायेगा ।
4. इच्छुक निविदाकर्ता उपरोक्त पुराने/अनुपयोगी वाहनो को दिनांक **2-3** नवम्बर, **2022** को कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान इस संस्थान में उपस्थित होकर देख सकते हैं । खुली नीलामी द्वारा नीलाम किये जाने वाले के बाद पुराने/अनुपयोगी वाहन तथा संबंधित वाहन के दस्तावेज इत्यादि के संबंध में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी ।
5. खुली नीलामी निर्धारित दिनांक एवं समय के अनुसार संस्थान की समिति द्वारा की जाएगी।
6. सफल या उच्चतम पार्टी को नीलामी की विभागीय कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक वाहन के स्वीकृत सफल उच्चतम दर को बोली लगाई गई की उच्चतम दर राशि 25 प्रतिशत राशि वाहन नीलामी की दिनांक को जमा करानी होगी तथा शेष बकाया राशि नीलामी के पश्चात अधिकतम तीन कार्य दिवसों में नकद में संस्थान के रोकड़िये को नकद में जमा करानी होगी तथा इसकी नकद रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी । यदि स्वीकृत/सफल उच्चतम बोलीदाता बोली की धन राशि को सम्पूर्ण रूप से जमा कराने में असफल रहता है तो उसकी जमा की गई बिड सिक्युरिटी/आंशिक जमा धन राशि भी सरकार/संस्थान जब्त कर लेगी और वह

संबंधित पुराना/अनुपयोगी वाहन पुनः नीलाम किया जाएगा जिसमे ं उसको भाग लेने का उसको अधिकार नहीं होगा।

7. पुराने/अनुपयोगी वाहनों की नीलामी के सफलतम अधिकतम स्वीकृत बोली दाता/फर्म के अतिरिक्त अन्य निविदादाता की धरोहर राशि को लौटा दिया जाएगा।

8. नीलाम किया गया पुराना/अनुपयोगी वाहन वर्णित स्थल से "जैसा है जहॉ है आधार पर" कार्यालय आदेश जारी होने के तीन दिवस के भीतर लेकर जाना /उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा नीलामी राशि का एक प्रतिशत प्रतिदिन अलग से चार्ज किया जावेगा एवं एक माह तक वाहन न उठाने पर नीलामी स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी तथा जमा रकम जब्त कर ली जावेगी । नीलामी के नियम व शर्तों का उल्लंघन होने पर पुराना/अनुपयोगी वाहन पुनः नीलाम कर दिया जावेगा और इस संबंध में उस पार्टी का कोई अधिकार मान्य नही होगा।

9. ऐसे व्यक्ति, पार्टी, फर्म इत्यादि जिसके जिम्में राजकीय वित्त बकाया होगी नीलामी में भाग नहीं ले सकेगें।

10. निदेशक, काजरी द्वारा बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

11. बोलीादाता को इन नियम व शर्तों को हस्ताक्षर कर अपनी फर्म/पार्टी के नाम की मोहर लगाकर देना अनिवार्य है।

12. नीलामी छोडने या न छोडने का अधिकार निदेशक, के0 शु0 क्षे0 अ0 सं0, जोधपुर को होगा ।

13. बोली को अपनी पहचान का फोटो युक्त आई0डी0 पूफ्र , पेन संख्या, मोबाइल नम्बर एवं पूर्ण पता देना होगा। तथा प्रतिलिपि बोली के समय कार्यालय में जमा करांनी होगी तथा बेकं डिटेल्स **A/c No., IFSC Code, Branch Name** अवश्य देवे अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

14. नीलामी स्थल पर बोली लगाते समय कानून एवं व्यवस्था का पालन करना होगा।

15. नीलामी हेतु वाहन विवरणी में दर्शाया गया हैं एवं इनकी सरकारी न्यूनतम बोली निर्धारित की गई है। यदि किसी वाहन के संन्दर्भ में बोलीदाता द्वारा बोली लगायी गयी यदि सरकारी न्यूनतम बोली राशि से कम रहती है तो उस पुराने/अनुपयोगी वाहन की नीलामी नहीं की जाएगी।

16. दिनांक **04-11-2022** को वाहनों की नीलामी मे भाग लेने वाले ऐसे व्यक्ति, पार्टी संस्था, फर्म इत्यादि जो कि इस संस्थान में पूर्व में पुराने नकारा सामान, पुराने वाहनों इत्यादि की हुई नीलामी में नीलाम किये गये सामान /वाहन इत्यादि के उच्चतम दर बोलीदाता रहे थे और वह उस समय नीलाम किये गये नकारा सामान/पुराने नकारा वाहन इत्यादि की सम्पूर्ण राशि जमा कराने में विफल रहे थे अथवा नीलाम किये गये पुराने सामान/पुराने नकारा वाहन इत्यादि को ले जाने /उठाने में असफल रहे थे । ऐसे विफल व्यक्ति, पार्टी, फर्म इत्यादि की बोली विचाराधीन नहीं रखी जाएगी ।

17. वाहन से संबंधित रोड़ टेक्स इत्यादि या अन्य टैक्स यदि कोई बकाया होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा बोलीदाता द्वारा संबंधित टेक्स का जमा कराने होगें ।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी